LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Friday, 06 April 2018 / 16 Chaitra 1940 (*Saka*)

No. 79

02.12 PM **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

1. 2.13 PM **Special Mention(Rule-280) :**

The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

1. Shri Jagdish Pradhan
2. Shri S.K. Bagga
3. Shri Ram Chander
4. Shri Girish Soni
5. Shri Om Prakash Sharma
6. Shri Naresh Yadav
7. Shri Somnath Bharti
8. Shri Vijender Garg
9. Shri Adarsh Shastri
10. Shri Surender Singh
11. Ms. Alka Lamba

2.56 PM : Shri Om Prakash Sharma, Shri Praveen Kumar and Shri Vishesh Ravi also expressed their views on the matter raised by Shri Vijender Garg pertaining to *'Utilisation of MLALAD Funds in MCD Parks'* under Rule-280. They demanded that the aforesaid issue be discussed in the House.

2.58 PM : The Chair agreed and directed that the Principal Secretary (Urban Development), Commissioners' (NDMC/SDMC/EDMC) be present in the Officers' Gallery on 09 April 2018 at 3.00 PM when the matter would be taken up in the House.

2. 3.12 PM **Calling Attention (Rule-54) :**

Shri Avtar Singh Kalkaji called the attention of the **Hon'ble Minister of Urban Development** towards *'proposed move of South Delhi Municipal Corporation to handover Purnima Sethi Super Specialty Hospital to private entities.'*

Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition also expressed his views.

3. 3.17 PM **Constitution of Committee :**

Shri Vishesh Ravi, raised the issue of the pending Salary and Allowances Bill.

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister moved that the following committee be constituted to take up the matter of 'Salaries & Allowances of Ministers'/MLAs' with the Ministry of Home Affairs, Govt. of India :

1. Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister
2. Shri Saurabh Bharadwaj
3. Shri Praveen Kumar
4. Shri Sanjeev Jha
5. Shri Manjinder Singh Sirsa
6. Shri Om Prakash Sharma

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

4. 3.27 PM **Discussion on Outcome Report of Office of Hon'ble Lieutenant Governor :**

Discussion on the Outcome Report pertaining to the Office of Hon'ble Lieutenant Governor presented by **Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** on 04 April 2018 continued.

The following Members participated in the Discussion :

7. Shri Akhilesh Pati Tripathi

5. 3.38 PM Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition raised objection on the discussion on the Outcome Report of Office of Hon'ble Lieutenant Governor. He stated that the Report should be sent to the Hon'ble Lt. Governor and also demanded that his reply be tabled in the House.

Ruling by Chair : The Chair gave the following Ruling:

"Hon'ble Members, I have received today i.e. 06 April 2018 a letter dated 05 April 2018 of the Hon'ble Leader of Opposition and other Members of the BJP in which they have raised objections over discussion on the Outcome Report on the Office of Hon'ble Lieutenant Governor. Surprisingly, I read about the letter in the newspapers such as The Pioneer, Hindustan, Hari Bhoomi and Vir Arjun before it actually reached me.

In this connection, I wish to inform the Members that submission of a report on administrative matters is the prerogative of the Government. It is not a personal report on the Hon'ble Lieutenant Governor. It is simply a report to bring out the facts on the proposals sent to the Office of the Hon'ble Lieutenant Governor. There was neither any interpretation nor allegation contained in it. The constitutional provision of the post of Lieutenant Governor is different from the other states. The Hon'ble Lieutenant. Governor has been provided executive powers in Delhi and as per established principles, the executive is responsible to the Legislature. The budget to the executive is allotted after approval of the Assembly. As per Rule-291 of Rules of Procedure and Conduct of Business, if any doubt arises as to interpretation of any of the provisions of these rules, the ***decision of the Speaker shall be final*** *and Rule-293 states that* ***no decision*** *of the Speaker in respect of allowing or disallowing of any resolution or question or in respect of any other matter,* ***shall be questioned****.*

I request the Members of BJP that they should not politicise the aforesaid issue and should try to understand the facts given in the Outcome Report instead of putting unnecessary efforts for publicity in Media."

3.49 PM : Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition, Shri Om Prakash Sharma and Shri Jagdish Pradhan were not satisfied with the ruling of the Chair.

They walked out form the House in Protest.

6. 3.50 PM **Discussion on Outcome Report of Office of Hon'ble Lieutenant Governor continued :**

8. Shri Pankaj Pushkar
9. Shri Madan Lal

Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister replied to the discussion.

7. 4.49 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Monday, 09 April 2018.**

Delhi | **C. Velmurugan**
06 April 2018 | **Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018 / 16 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या–79

2.12 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1\. 2.13 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठायेः–

1. श्री जगदीश प्रधान
2. श्री एस.के.बग्गा
3. श्री राम चन्द्र
4. श्री गिरीश सोनी
5. श्री ओमप्रकाश शर्मा
6. श्री नरेश यादव
7. श्री सोमनाथ भारती
8. श्री विजेन्द्र गर्ग
9. श्री आदर्श शास्त्री
10. श्री सुरेन्द्र सिंह
11. सुश्री अलका लाम्बा

2.56 बजे : श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री प्रवीण कुमार तथा श्री विशेष रवि ने भी श्री विजेन्द्र गर्ग द्वारा नियम–280 के अंतर्गत उठाये गये *'विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का दिल्ली नगर निगम के पार्कों में उपयोग'* से संबंधित मामले पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने मांग की कि उक्त मामले पर सदन में चर्चा की जाये।

2.58 बजे : अध्यक्ष महोदय ने सहमति दी और निर्देश दिया कि प्रधान सचिव (शहरी विकास), आयुक्त (उ.दि.न.नि / द.दि.न.नि / पू.दि.न.नि), दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 3.00 बजे, जब सदन में यह मामला विचारार्थ लिया जाये, तब अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहें।

2\. 3.12 बजे **ध्यानाकर्षण (नियम–54) :**

श्री अवतार सिंह कालकाजी ने *"दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा पूर्णिमा सेठी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को प्राइवेट प्रतिष्ठानों को सौंपने की प्रस्तावित योजना"* के संबध में **माननीय शहरी विकास मंत्री** का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

3\. 3.17 बजे **समिति का गठन :**

श्री विशेष रवि ने वेतन तथा भत्तों के लम्बित विधेयक का मामला उठाया।

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मंत्रियों / विधायकों के वेतन तथा भत्तों के मामले के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार से विचार–विमर्श करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया जायेः

1. श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री
2. श्री सौरभ भारद्वाज
3. श्री प्रवीण कुमार
4. श्री संजीव झा
5. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
6. श्री ओमप्रकाश शर्मा

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

4\. 3.27 बजे **माननीय उप राज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर चर्चा :**

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को प्रस्तुत माननीय उप राज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर आगे चर्चा हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

7. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी

5\. 3.38 बजे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने माननीय उप राज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर चर्चा के संबंध में आपत्ति प्रकट की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को माननीय उपराज्यपाल के पास भेजा जाना चाहिए तथा उनके उत्तर को सदन पटल पर प्रस्तुत करने की भी उन्होंने मांग की।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था : अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :

''माननीय सदस्यगण, मुझे आज अर्थात् 06 अप्रैल, 2018 को माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्यों का पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2018 प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने माननीय उपराज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर आपत्ति प्रकट की है। हैरानी की बात यह है कि यह पत्र मुझ तक पहुंचने से पहले, मैंने इस पत्र के बारे में द पायनियर, हिन्दुस्तान, हरि भूमि, वीर अर्जुन आदि समाचार पत्रों में पढ़ा।

मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक मामले से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना सरकार का अधिकार है। यह माननीय उपराज्यपाल महोदय से संबंधित कोई व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं है। यह माननीय

उपराज्यपाल महोदय के कार्यालय को भेजे गये प्रस्तावों से संबंधित तथ्यों को सामने लाने वाली रिपोर्ट है। इसमें न तो कोई व्याख्या है और न ही किसी प्रकार का कोई आरोप है। दिल्ली के उपराज्यपाल पद का संवैधानिक प्रावधान अन्य राज्यों से अलग है। माननीय उपराज्यपाल महोदय को दिल्ली में कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं और सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका को बजट का आबंटन विधानसभा की स्वीकृति से ही होता है। विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम–291 के अनुसार, यदि इन नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो तो **अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा** तथा नियम–293 के अनुसार किसी संकल्प या

प्रश्न एवं किसी अन्य विषय की स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बारे में **अध्यक्ष का जो निर्णय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।** अतः भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त मामले का राजनीतिकरण न करें और मीडिया में पब्लिसिटी के लिए अनावश्यक प्रयास करने की बजाय आउटकम रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों को समझने की कोशिश करें।

3.49 बजे : श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा श्री जगदीश प्रधान अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे।

उन्होंने विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।

6. 3.50 बजे **माननीय उप राज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर चर्चा जारी.......**

8. श्री पंकज पुष्कर
9. श्री मदन लाल

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. 4.49 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
06 अप्रैल, 2018

सी. वेलमुरूगन
सचिव